प्रेषक,

अमित सिंह–I,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०–08, बाराबंकी।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
बाराबंकी।

विषय– शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 तथा शासनादेश सं०–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन विकल्प चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में उपरोक्त शासनादेशों के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने हेतु निर्धारित प्रारूप में विकल्प प्रस्तुत किया गया था जिसे पूर्व में दिनांक 24.07.2024 को जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी द्वारा अग्रसारित किया गया था परन्तु कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति विकल्प पत्र पर नहीं थी। पत्र संख्या 11718/IV–F–82(Pension)/Admin.(A) दिनांकित 31.08.2024 द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति सहित विकल्प पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त पत्र के अनुक्रम में प्रार्थी पुनः अपना विकल्प पत्र निर्धारित प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति के साथ प्रेषित कर रहा है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

Amit Singh 14/9/24

दिनांक–14.09.2024

(अमित सिंह–I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०–08, बाराबंकी।

संलग्नकः

1–पूर्व में प्रेषित पत्र व विकल्प पत्र दिनांकित 23.07.2024 ।

2–कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति के साथ निर्धारित प्रारूप में विकल्प पत्र ।

No. 1759/I Dated 24.09.2024
FORWARDED

PANKAJ KUMAR SINGH
DISTRICT JUDGE
BARABANKI
24.9.2024

विकल्प पत्र

(**शासनादेश संख्या**– 20/2024/सा–1–270/दरा–2024/301(1)/2024 दि० 11 जुलाई 2024)

1. नाम–**अमित सिंह–I**

2. वर्तमान पदनाम–**अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी**

3. वेतनमान –**1,44,840–1,94,660 [Basic as on 01. 06. 2024–1,94,660/–)**

4. वर्तमान विभाग का नाम–**न्याय विभाग**

5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम– **नियुक्ति विभाग**

6. विज्ञप्ति की तिथि–**15.11.2003 (A–2/E–1/2003 Employment News 22–28 November 2003)**

7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि– **26.05.2006**

8. योगदान की तिथि– **16.06.2006**

9. जन्म तिथि– **22.11.1975**

10. सेवानिवृत्ति की तिथि– **30.11.2035**

मैं अमित सिह–I पुत्र श्री जगदीश नरायण सिंह, शासनादेश संख्या 14/2024/सा–3–243/दस– 2024/301(1)/2024 दिनांक–28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूं। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाए।

Amit Singh 14/9/24

अमित सिह–I
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।

घोषणा पत्र

मैं अमित सिह–I, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या–01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

Amit Singh 14/9/24

अमित सिह–I
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा–

श्री अमित सिह–I, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

24/09/2024

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
PANKAJ KUMAR SINGH
DISTRICT JUDGE
BARABANKI